भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4415 का उत्तर

डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना

4415. श्री राजकुमार रोत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है;

(ख) उक्त बजट का उपयोग किन मदों/क्षेत्रों में किया गया तथा उक्त परियोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि क्या है;

(ग) देश में रेल परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजे और अन्य लाभों के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और प्राप्त मुआवजे की राशि क्या है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) इस परियोजना के लिए अब तक भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा प्राप्त करने वाले स्थानीय ग्रामीणों की, उन ग्रामीणों, जिनका मुआवजा अभी भी लंबित है, की संख्या सहित, ब्लॉक और जिलावार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन स्थानीय ग्रामीणों को उचित मुआवजा प्रदान करके उक्त परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने का है, जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है;

(च) यदि हाँ, तो यह कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर (188 किमी) नई रेल लाइन परियोजना को 2083 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान सरकार और रेल मंत्रालय के बीच 50:50 लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना के लिए भूमि भी राजस्थान राज्य सरकार को अपनी लागत पर उपलब्ध करानी है। अब तक, कुल आवश्यक 1,736 हेक्टेयर भूमि में से 646 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है।

रेलवे द्वारा संबंधित राज्य/ज़िला प्राधिकारियों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी कार्यकलापों, जैसे भू-स्वामियों को मुआवज़े की राशि का आकलन और मुआवज़ा देना आदि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भू-स्वामियों को रेलवे से मुआवज़े की माँग करने के पश्चात मुआवजा प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए, राज्य सरकारों के समन्वय से की जाती है।

इस बीच, बांसवाड़ा क्षेत्र में संपर्कता बढ़ाने के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-अलीराजपुर-नंदुरबार नई लाइन (380 किलोमीटर) के सर्वेक्षण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय के मूल्यांकन आदि जैसे आवश्यक अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। चूँकि, परियोजना को स्वीकृति प्रदान करना सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः सटीक समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशिष्ट परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि। ये सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

******